सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थानसरकार
प्रशासनिकसुधार (अनु–1)विभाग

क्रमांकः प.25(9)प्रसु/सम/अनु–1/2019 जयपुर, दिनांकः 01.06.2023

"परिपत्र"

राज्य में सुशासन की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा लिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों को त्वरित गति से लागू करने एवं विभागीय फाईलों का समयबद्ध निस्तारण हेतु सभी विभागों एवं आयुक्तालयों/निदेशालयों में दिनांक 01.01.2023 से राज–काज पोर्टल पर ई–फाईल मॉड्यूल लागू किया गया है।

राज–काज लागू होने से राजकीय कार्यालयों में भौतिक पत्रावलियों के संधारण की आवश्यकता कम रह गई है। सचिवालय में स्थित सभी विभागों में ई–फाईल मोडयूल एवं स्वच्छता अभियान के तहत सभी पत्रावलियों का परीक्षण कर रिकार्ड किया गया अथवा अलमारियों में सुव्यवस्थित रूप से रखने का कार्य नियमित रूप से किया गया, जिससे सचिवालय की कार्यप्रणाली की गुणवत्ता में सुधार एवं राजकीय कार्य का शीघ्र संपादन तथा प्रभावी पर्यवेक्षण हुआ है। परिणामतः सचिवालय स्वच्छ एवं नये स्वरूप में अग्रसर है।

इसी क्रम में समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवों को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में उक्त प्रणाली का अनुसरण करते हुए संधारित पत्रावलियों का ई–फाईल के परिप्रेक्ष्य में 15 दिवस में परीक्षण कर रिकॉर्ड किया जावे अथवा अलमारियों में सुव्यवस्थित रूप से रखा जावे। कार्यालय में अवस्थित समस्त अवांछित/अनुपयोगी मद का नियमानुसार निस्तारण करवाते हुए कार्यालय को स्वच्छ एवं नया स्वरूप प्रदान किया जाना सुनिश्चित करावें।

(उषा शर्मा)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्री।
3. संयुक्त सचिव, मा0 मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. महानिदेशक, पुलिस, जयपुर।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/निगम/बोर्ड/आयोग, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

Validity unknownSignature valid
प्रमुख शासन सचिव

Digitally signed by Usha Sharma
Designation : Chief Secretary
Date: 2023.06.01 10:12:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3940011